



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 30, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 1843/77-3-2021-57(एम)-2020

लखनऊ, 21 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-309

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला आजमगढ़ की तहसील-बूढ़नपुर/फूलपुर के ग्राम गोरथानी में 2.8208 हेक्टेयर, अनन्तपुर में 0.0470 हेक्टेयर, सूखीपुर में 0.0154 हेक्टेयर, इटौरी खालिसपुर में 0.0018 हेक्टेयर, परानपुर में 0.1857 हेक्टेयर, जोगीपुर में 0.2111 हेक्टेयर, गनपतपुर में 0.0617 हेक्टेयर, रामपुर मु0 गनपतपुर में 0.0056 हेक्टेयर, फलवरिया में 0.0525 हेक्टेयर, मनियारपुर में 0.6847 हेक्टेयर, चकिया में 1.2597 हेक्टेयर व प्रधानपुर में 0.0060 हेक्टेयर, कुल 5.346 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी है जिसने दिनांक 08.09.2021 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो।

(ख) यद्यपि इस परियोजना के संबंधित ग्रामों में कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली ह्रास की क्षति की पूर्ति होगी।

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ) तीव्र एवं अपेक्षाकृत उत्तम परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतएव बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुति निम्नानुसार है -

**(एक)** जिला आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

**(दो)** इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षाकृत अधिक हैं और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

4-समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग/कलेक्टर, आजमगढ़ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

6-अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला का नाम	तहसील का नाम	परगना	गाँव का नाम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	गोरथानी	236	0.4500
					249	0.1984
					60	0.0152
					61	0.1716
					76	0.1287
					77	0.3880
					81	1.0570
					82	0.0010
					83	0.1170
					84	0.0460
					85	0.0660
					86	0.0132
					89	0.1358

1	2	3	4	5	6	7
	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	गोरथानी	95क	0.0400
					118	0.0012
					119	0.0156
					120	0.0165
					121	0.0096
					<b>योग</b>	<b>2.8208</b>
2	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	अनन्तपुर	35	0.0470
					<b>योग</b>	<b>0.0470</b>
3	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	सूखीपुर	331	0.0154
					<b>योग</b>	<b>0.0154</b>
4	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	इटौरी खालिसपुर	3	0.0018
					<b>योग</b>	<b>0.0018</b>
5	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	परानपुर	73	0.0032
					37	0.0075
					53	0.0018
					59	0.0567
					70	0.0027
					86	0.0106
					89	0.0280
					99	0.0026
					227	0.0172
					235	0.0155
					95	0.0399
					<b>योग</b>	<b>0.1857</b>
6	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	जोगीपुर	355	0.0354
					364	0.1230
					365	0.0057
					368	0.0050
					372	0.0036
					375	0.0384
					<b>योग</b>	<b>0.2111</b>
7	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	गनपतपुर	277mi	0.0060
					276	0.0387
					172	0.0170
					<b>योग</b>	<b>0.0617</b>
8	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	रामपुर मु0 गनपतपुर	23	0.0008
					24	0.0048
					<b>योग</b>	<b>0.0056</b>
9	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	फलवरिया	4	0.0525
					<b>योग</b>	<b>0.0525</b>
10	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	मनियारपुर	30	0.0220
					33	0.0077
					40	0.0056
					41	0.0316
					44mi	0.0964
					46	0.0558

1	2	3	4	5	6	7
	आजमगढ़	बूढ़नपुर	अतरौलिया	मनियारपुर	48	0.0549
					392	0.0288
					390	0.1052
					387	0.0019
					388	0.0497
					368	0.0150
					369	0.0491
					217	0.0104
					218	0.0750
					378	0.0756
					<b>योग</b>	<b>0.6847</b>
11	आजमगढ़	फूलपुर	माहुल	चकिया	243	0.3151
					4 mi	0.0112
					322 mi	0.0208
					324 mi	0.0002
					233	0.0704
					231	0.0220
					232	0.0220
					230	0.0010
					215	0.0580
					216	0.0504
					217	0.0001
					245	0.6440
					250 mi	0.0385
					<b>योग</b>	<b>1.2537</b>
12	आजमगढ़	फूलपुर	माहुल	प्रधानपुर	75 mi	0.0060
					<b>महायोग</b>	<b>5.346</b>

7—राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत करती हैं।

8—उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरुद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, आजमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1843 /LXXVII-3-21-57(M) /20 dated September 21, 2021:-

No. 1843/LXXVII-3-21-57(M)/2020

*Dated Lucknow, September 21, 2021*

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 5.346 Hectares of land is required in the village Gorthani 2.8208 hect., Anantpur-0.0470 hect., Sukhipur 0.0154 hect., Itauri Khalispur 0.0018 hect., Parapur 0.1857 hect., Jogipur 0.2111 hect., Ganpatpur 0.0617 hect., Rampur Mu.Ganpatpur 0.0056 hect., Phalwariya 0.0525 hect., Maniyarpur 0.6847 hect., Chakiya 1.2537 hect., and Pradhanpur 0.0060 hect., Tehsil-Burhanpur /Phoolpur, District Azamgarh for public purpose, namely Gorakhpur Link Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on date 08.09.2021 .

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows-

(a) Gorakhpur Link Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total area of any village. So that the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery and development of irrigation facilities.

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities in the remote areas. It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:-

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Gorakhpur Link Expressway Project in District Azamgarh and it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area effected by Gorakhpur Link Expressway project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Azamgarh as per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below, is needed for public purpose:-

**SCHEDULE**

S.N.	DISTRICT	TAHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA BE ACQUIRED
1	2	3	4	5	6	7
1	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	GORTHANI	236	0.4500
					249	0.1984
					60	0.0152
					61	0.1716
					76	0.1287
					77	0.3880
					81	1.0570
					82	0.0010
					83	0.1170
					84	0.0460
					85	0.0660
					86	0.0132
					89	0.1358
					95K	0.0400
					118	0.0012
					119	0.0156
					120	0.0165
					121	0.0096
					<b>Total</b>	<b>2.8208</b>
2	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	ANANTPUR	35	0.0470
					<b>Total</b>	<b>0.0470</b>
3	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	SUKHIPUR	331	0.0154
					<b>Total</b>	<b>0.0154</b>
4	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	ITARI KHALISPUR	3	0.0018
					<b>Total</b>	<b>0.0018</b>
5	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	PARANPUR	73	0.0032
					37	0.0075
					53	0.0018
					59	0.0567
					70	0.0027
					86	0.0106
					89	0.0280
					99	0.0026
					227	0.0172
					235	0.0155
					95	0.0399
					<b>Total</b>	<b>1.1857</b>

1	2	3	4	5	6	7
6	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	JOGIPUR	355	0.0354
					364	0.1230
					365	0.0057
					368	0.0050
					372	0.0036
					375	0.0384
					<b>Total</b>	<b>0.2111</b>
7	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	GANPATPUR	277MI	0.0060
					276	0.0387
					172	0.0170
					<b>Total</b>	<b>0.0617</b>
8	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	RAMPUR MU.GANPATPUR	23	0.0008
					24	0.0048
					<b>Total</b>	<b>0.0056</b>
9	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	PHALWARIYA	4	0.0525
					<b>Total</b>	<b>0.0525</b>
10	AZAMGARH	BURHANPUR	ATRAULIA	MANIYARPUR	30	0.0220
					33	0.0077
					40	0.0056
					41	0.0316
					44mi	0.0964
					46	0.0558
					48	0.0549
					392	0.0288
					390	0.1052
					387	0.0019
					388	0.0497
					368	0.0150
					369	0.0491
					217	0.0104
					218	0.0750
					378	0.0756
					<b>Total</b>	<b>0.6847</b>
11	AZAMGARH	PHOOLPUR	MAHUL	CHAKIYA	243	0.3151
					4mi	0.0112
					322mi	0.0208
					324mi	0.0002
					233	0.0704
					231	0.0220
					232	0.0220
					230	0.0010
					215	0.0580

1	2	3	4	5	6	7
	AZAMGARH	PHOOLPUR	MAHUL	CHAKIYA	216	0.0504
					217	0.0001
					245	0.6440
					250mi	0.0385
					<b>Total</b>	<b>1.2537</b>
12	AZAMGARH	PHOOLPUR	MAHUL	PRADHANPUR	75mi	0.0060
					<b>Total</b>	<b>0.0060</b>
					<b>Grand Total</b>	<b>5.346</b>

7. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

8. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under section 11 (4) of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**NOTE :** A site Plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Azamgarh.

By order,  
ARVIND KUMAR,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 320 राजपत्र-2021-(680)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० औद्योगिक विकास-2021-(681)-250-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।